

II कार्यालय उप वन संरक्षक, कोटा II

(Narsimha, Chel Lina Rai Bhawan Road Kota, Email ID: del.Lana.Forest@rajasthan.gov.in)
दस्तावेज नं- 0764-232767

उपकरण-एम्/उपवन/उप/ 2022/11549
दिनांक 19/12/22

विषय-

संभाषीय मुख्य वन संरक्षक
कोटा

विषय- Access road to cart the soil from Khodiya Kheri village non forest land for construction of eight lane carriageway starting near junction with NH-76 to junction with NH-12 near village Ummadpura (Ch. 388.420 to Ch.419.00) Section of Delhi-Vadodara access controlled green field alignment (Nh-148N) on EPC made under Bharatmala Pariyojana in the state of Rajasthan. Forest Diversion Proposal under Forest (Conservation) Act, 1980. (Proposal No. FP/RJ/Approach/153700/2022)

प्रस्ताव- कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक राज. जयपुर के पत्रांक 3958-59 दिनांक 28.11.2022

महोदय

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि उक्त संबंध में आप द्वारा लगाये गये आक्षेपों की पूर्ति कर प्रेषित हैं

क्र.सं.	आक्षेप	पालना
1	यूजर एजेन्सी द्वारा जहां से मिट्टी उठायी जानी है, उस स्थान का विवरण एवं भूस्वामी की सहमति पत्र संलग्न नहीं किया गया है।	यूजर एजेन्सी द्वारा संलग्न कर दिया गया है।
2	प्रस्ताव में संलग्न डिजिटल मैपस एवं के.एम.एल. फायल में मिट्टी उठाने के स्थान तक रास्ता नहीं दर्शाया गया है। अर्थात् प्रस्ताव में गैर वन भूमि भी प्रस्तावित है। तदनुसार संशोधन कर संशोधित मैपस के.एम.एल. फाइल अनलोड किया जाना प्रस्तावित है।	यूजर एजेन्सी द्वारा संलग्न कर दिया गया है।
3	उप वन संरक्षक द्वारा परिभाषित वन भूमि पर कराये जाने वाले वृक्षारोपण की स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।	संलग्न कर दिया गया है।
4	उप वन संरक्षक द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि का गजट नोटिफिकेशन की प्रति संलग्न नहीं है।	संलग्न कर दिया गया है।
5	उप वन संरक्षक द्वारा प्रस्तावित मार्ग के विकल्प उपलब्ध नहीं होने का कारण प्रस्तुत नहीं किया गया है।	यूजर एजेन्सी द्वारा उक्त मार्ग पर मिट्टी परिवहन कार्य किया जाना प्रस्तावित है अन्य कोई मार्ग उपलब्ध नहीं है।
6	यूजर एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित रोड की चौड़ाई 2.75 मीटर ली गई है उक्त बिन्दु पर उप वन संरक्षक की टिप्पणी प्रस्तावित है।	प्रस्तावित मार्ग 2.75 मी के स्थान पर 2.50 मी प्रस्तावित है जो कि मिट्टी परिवहन के लिए पर्याप्त है।
7	संलग्न किये गये पार्ट प्रथम की प्रति पुरानी है नवीन प्रति संलग्न की जानी प्रस्तावित है।	यूजर एजेन्सी द्वारा संलग्न कर दिया गया है।

भवदीय

उप वन संरक्षक
कोटा